एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

२०२०-२१

खनन गहरा

लक्ष्य ऊंचा

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2020-21

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की अनुषंगी)

पंजीकृत कार्यालय : हाउस नं. 42, प्रथम तल, आनंद नगर

हाकिमपाड़ा, अंगुल (ओड़िशा)

वार्षिक प्रतिवेदन की विषय सूची : वित्तीय वर्ष 2020-2021

क्रमांक.		पृष्ठ सं.
1.	प्रवंधन/वैंकर/ लेखा परीक्षक	1-3
2.	सूचना	4
3.	निदेशक प्रतिवेदन	5-10
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ	11
5.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	12-18
6.	लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रवंधन का जवाव	19-23
7.	सचिवीय लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	24-29
8.	31 मार्च, 2021 का तुलनपत्र	30-31
9.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का लेखा	32-33
10.	नकद प्रवाह विवरण	34-35
11.	बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का हिस्सा वनने वाले नोट्स	36-96

2020-21 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष :

1. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल

नामांकित निदेशक :

2. श्री के. के. राउल, महाप्रबंधक, एमसीएल

3. श्री ए. के. सिंह, कंपनी सचिव, एमसीएल

4. श्री ए. हुसैन, महाप्रबंधक, एमसीएल

5. श्री संदीप जी. गोखले, निदेशक, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

6. श्री. सी.पी. टटेड, निदेशक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड

7. श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता, निदेशक, श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड

8. श्री एस.एस. उपाध्याय, निदेशक, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड

वर्तमान प्रबंधन

(दिनांक : 06.07.2021 के अनुसार)

अध्यक्ष :

1. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल

नामांकित निदेशक :

2. श्री के. के. राउत, महाप्रबंधक, एमसीएल
3. श्री ए. के. सिंह, कंपनी सचिव, एमसीएल
4. श्री ए. हुसैन, महाप्रबंधक, एमसीएल
5. श्री संदीप जी. गोखले, निदेशक, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
6. श्री. सी.पी. टटेड, निदेशक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड
7. श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता, निदेशक, श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड
8. श्री एस.एस. उपाध्याय, निदेशक, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री पी. पी. गुप्ता

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री ए. के. राय

कंपनी सचिव
श्री एस. राउत

बैंकर्स

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर
2. एक्सेस बैंक, तालचेर

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
हाउस ऑफ – प्रथम तल, 841,कटक रोड,
रसुलगढ,भूबनेश्वर-751010

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स नायक एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
भुवनेश्वर,
ओडिशा-751019

पंजीकृत कार्यालय

हाउस नं . 42, प्रथम तल
आनंद नगर
हकीमपाड़ा, अंगुल -759143

सूचना

13वीं वार्षिक सामान्य बैठक

यह सूचना दी जाती है कि एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों की 13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित व्यवसायिक कार्यों के संचालन हेतु दिनांक 06 जुलाई 2021, मंगलवार अपराह्न 12.30 बजे एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च 2021 के परीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वैधानिक लेखापरीक्षक तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना है।

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमजेएसजे कोल लिमिटेड
ह/-
(एस. राउत)
कंपनी सचिव

वार्षिक सामान्य बैठक स्थल :
एमसीएल, मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला,
सम्बलपुर -768020
टिप्पणी :

01. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।

02. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय,
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

सज्जनों,

मुझे एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 13 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आपकी कंपनी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.9.2014 को उत्कल-ए कोल ब्लॉक को रद्द करने तक अनुसूची के अनुसार सभी गतिविधियां पूर्ण कर ली है।

I:- परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति :-

परियोजना प्रतिवेदन : कोयला और ओबी आउटसोर्सिंग वैरीयेंट दोनों के लिए 15 एमटीवाई क्षमता को एमसीएल बोर्ड द्वारा फरवरी 2008 को अनुमोदित किया गया। स्वीकृत पूंजी रु. 395.87 करोड़ है। एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने वाले गोपालप्रसाद ओसीपी के उत्कल-ए (गोपालप्रसाद पश्चिम सहित) संयुक्त ब्लॉक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक: 24/09/2014 द्वारा रद्द कर दिया है।

- अनुमोदित खनन योजना : एमजेएराजे कोल लिमिटेड के नाम पर स्वीकृति दिनांक 23/04/09 को प्राप्त हुई है।

- वन भूमि परिवर्तन प्रस्ताव (एफ़एलडीपी) : यह कार्य मेसर्स जियो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया।

  क) वन क्षेत्र का सीमांकन और वृक्षों की गणना का कार्य पूरा हो गया है।

  ख) प्रतिपूरक वनरोपण : साइट की पहचान और सीमांकन पूरा हो गया है।

  डीएफ़ओ, अंगुल द्वारा साइट जांच पूरी हो गई है।

  ग) इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी दस गांवों में ग्राम सभा का कार्य पूरा कर लिया गया है। एसडीएलसी 27 अप्रैल को आयोजित किया गया था और कलेक्टर अंगुल द्वारा एनओसी जारी किया गया है।

घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार, वन भूमि का डिजिटलीकरण अनिवार्य है। डिजिटलीकृत मानचित्र को ओआरएसएसी, भुवनेश्वर द्वारा प्रमाणित किया जाना है। वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ओआरएसएसी और डीएफओ, अंगुल द्वारा वन क्षेत्र की डीजीपीएस योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

II:- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना :-

क) एमओईएफ, दिल्ली द्वारा दिनांक दिसम्बर 2008 को संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना :–दिनांक 17-08-2009 को ईएमपी-ईआईए मसौंदा एसपीसीबी, ओड़िशा को प्रस्तुत किया गया। खदान की स्थापना हेतु सहमति के लिए रु. 3 लाख के शुल्क के साथ आवेदन एसपीसीबी को जमा की गई। अंतिम ईएमपी एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया। टीओआर पर आधारित ईसी के लिए दिनांक 29.03.2011 को एमओईएफ की ईएसी के समक्ष प्रस्तुति दी गई थी। बाद में टीओआर के आधार पर ईसी के लिए एमओईएफ के ईएसी के समक्ष 09.01.2013 को प्रस्तुति दी गई थी। 09/01/2013 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में ईएसी ने 05/11/2013 को ईसी देने की सिफारिश की है। चूंकि वन मंजूरी चरण- I आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, इसलिए ईसी के लिए ईएसी की सिफारिश अमान्य है क्योंकि तब से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

ख) वन्यजीव संरक्षण : डीएफ़ओ द्वारा रिपोर्ट अनुमोदित की गई तथा उसे आरसीसीएफ़, अंगुल को अग्रेषित किया गया। वन्यजीव प्रबंधन योजना को पीसीसीएफ़, (डबल्यूएल), ओड़िशा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

ग) सामाजिक – आर्थिक अध्ययन : सामजिक-आर्थिक अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर, अंगुल को प्रस्तुत की गई। इसे एमसीएल के आरपीडीएसी ने मंजूरी दे दी है।

III :- भूमि अधिग्रहण :

क) वेस्ट गोपाल प्रसाद : एमसीएल के नाम पर सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम '1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

4(1) - 30.06.2003
7(1) - 15.10.2004
9(1) - 20.01.2007
11(1) - 25.09.2007

ख) उत्कल "ए" : भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में निम्न रूप में है :

4(1) - 26.03.2011
7(1) - 11.04.2012
9(1) - 01.02.2013
11(1) - 13.02.2013 को आवेदन कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 29.10.2013 को भूमि एमजेएसजे के लिए निहित है।

ग) अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण :- एमजेएसजे की 17वीं बोर्ड बैठक में अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाने वाली 50.351 हेक्टेयर भूमि को मंजूरी दी गई थी। कोयला मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, इसे दिनांक 12.03.2012 को आगे की कार्रवाई के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा कलेक्टर, अंगुल को अग्रेषित कर दिया गया है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एमसीएल, अंगुल द्वारा वांछित सभी अपेक्षित प्रस्तुत कर दिया गए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अंगुल द्वारा प्रस्ताव को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस कर दिया गया है।

घ) काश्तकारी भूमि :- भूमि का यह हिस्सा सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया गया है। और ग्राम भालुगड़िया और भगूआबोल में संरचना माप पूरा किया गया। ग्रामीण कंकराई और पिराखमन उनके रोजगार के निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने तक संरचना माप की अनुमति नहीं दे रहे थे। एमसीएल, जिला प्रशासन और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। पहले, पीएपी केवल एमसीएल से नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन कई बैठकों के बाद उन्होंने यह राय दी कि खदान के जल्द बंद होने की स्थिति में, शेष भूमि के बाहर जो अभी भी सेवा में होंगे, उन्हें एमसीएल खदानों में रोजगार दिया जाएगा।

मामले को एमजेएसजे कोल लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 24 वीं बैठक में रखा गया और बोर्ड ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया, और इसके पश्चात इस पर विचार करते हुए निम्न संकल्प पारित किया :

क) संकल्प किया गया कि भूमि विस्थापितों की सेवानिवृत्ति तक उनकी सेवाओं को जारी रखने की पूरी जिम्मेदारी एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा पूरी तरह से वहन/प्रतिपूर्ति की जाएगी और इसके लिए एमसीएल को कॉर्पोरेट गारंटी देने पर राहमति हुई है।

ख) "आगे यह भी संकल्प लिया गया है कि, संबंधित प्रमोटर शेयरधारकों से उनकी सेवानिवृत्ति तक भूमि विस्थापितों की देयता के लिए बैक-टू-बैक काउंटर गारंटी प्राप्त की जाएगी।

ग) "आगे यह संकल्प लिया गया कि एमसीएल से भूमि विस्थापितों को आश्वस्त करने का अनुरोध किया जाएगा कि उनकी सेवानिवृत्ति तक सभी मजदूरी और भत्ते एमसीएल के मानदंडों के अनुसार होंगे। वेतन और अनुलाभों के लिए कुल व्यय व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा उनके द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के अनुसार वहन किया जाएगा।

घ) आगे यह भी संकल्प किया गया कि एमसीएल के लिए कार्यान्वित वार्षिकी योजना उस तिथि से कंपनी के समापन के मामले में एमजेएराजे कोल लिमिटेड द्वारा दी जाएगी।

बोर्ड ने सीईओ एमजेएसजे कोल लिमिटेड को बोर्ड के इस निर्णय को आगे विचार के लिए एमसीएल को अग्रेषित करने का निर्देश दिया। अब, मामला एमसीएल के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ङ) <u>सरकारी भूमि प्रीमियम</u> :- राज्य सरकार को सरकारी भूमि प्रीमियम के रूप में सिर्फ रु. 32, 83, 75, 998/ -. (बत्तीस करोड़, तिरासी लाख, पचहत्तर हजार, नौ सौ अठ्ठानवे) जमा कर दिया गया है और 423.445 एकड़ के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है।

च) <u>पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट</u> **:** आरडीसी, सम्बलपुर तथा दिनांक 09.11.12 को आरपीडीएसी द्वारा आयोजित कंकराई और बलचंद्रपुर गाँव में 89.48 एकड़ सरकारी भूमि पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट हेतु अनुमोदित की गई तथा इसे आगे की कार्रवाई हेतु तहसीलदार, छेंदीपाड़ा को प्रेषित किया गया। तहसीलदार, छेंदीपाड़ा ने दिनांक 15.07.2011 को क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट हेतु एक पत्र संबंधित आरआई को भेजा। आरआई ने दिनांक 01.11.2011 को तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार ने दिनांक 16.11.2011 को पेड़ों की गणना और मूल्यांकन के लिए डीएफओ, अंगुल को एक पत्र भेजा है। सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में दिनांक 16.11.2011 को कंकराई और बालीचंद्रपुर गांव को भी एक सामान्य नोटिस भेजा गया है। रेंज अधिकारी, छेंदीपाड़ा द्वारा की गई पेड़ों की गणना अमान्य है, क्योंकि सरकारी भूमि पुरुनागढ़ रेंज कार्यालय के अंतर्गत आती है। आरओ, पुरुनागढ़ द्वारा अनुवर्ती कारवाई की जा रही है।

छ) <u>रेलवे साइडिंग</u> **:** बोर्ड की 19वीं बैठक में एमसीएल के माध्यम से राइट्स द्वारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया। आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्णय को महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल को सूचित किया गया है। पुरस्कार देने की प्रक्रिया एमसीएल द्वारा की जा रही है.

ज) <u>कल्याणकारी गतिविधियाँ</u> **:** एमजेएसजे कोल लिमिटेड के कर्मचारियों और कार्यकारी को एमसीएल द्वारा कल्याण और सामाजिक सुविधाएं जैसे आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही हैं।

झ) <u>परिधीय विकास गतिविधियां</u> : राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी परिधीय विकास गतिविधियों और सामाजिक सहयोग की ज़िम्मेदारी वर्तमान में एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से एमसीएल द्वारा निभाई जा रही है।

ञ) नाला मोड़ना (डाईवर्सन) :- ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने साइट का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की। अंतत: रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी के लिए माननीय जल संसाधन विभाग के मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

IV:- <u>वित्तीय गतिविधियां</u>:

एमजेएसजे कोल लिमिटेड अब विकासशील चरण में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ एवं हानि का खाता (A/C) तैयार किया गया है। वर्ष की हानि रूपये 43.78 लाख है । अन्य वित्तीय संपत्तियों में तुलनपत्र में प्राप्य दावे के रूप में रूपये 5708.68 लाख रुपये दर्शाये गए हैं।

कंपनी ने दिनांक 21.10.2008 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर में चालू खाता संख्या 30533665105 खोला तथा एक्सिस बैंक में भी अपना चालू खाता खोला है। दिनांक 31.03.2021 को कंपनी के पास सीएलटीडी/चालू खाते में 1917.05 लाख रुपये की बैंक राशि शेष है ।

V:- बैंक गारंटी :

कंपनी ने मूल रूप से कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में 111.24 करोड़ रुपये प्रस्तुत किए। हालांकि यह राशि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रु. 111.24 करोड़ को घटाकर रु.२२.२४८ करोड़ कर दी गई और तदनुसार कंपनी ने उसी राशि के लिए एसबीआई, तालचेर द्वारा जारी बैंक गारंटी संख्या. 50/48 प्रस्तुत की है जो दिनांक 30.09.2021 तक वैध है और बाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार तक पुनः मान्य है।

VI:- लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
हाउस ऑफ – प्रथम तल, 841, कटक रोड,
रसूलगढ़, भूबनेश्वर -751010

VII:- सावधि जमा :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा उसके तहत लागू अन्य नियम के अनुसार वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक कर्मचारियों का विवरण कंपनी (कर्मचारियों का विवरण), नियमावली, 1975, संशोधित रूप में, नहीं दिया गया है क्योंकि आपकी कंपनी ने इन प्रावधानों के तहत किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

VIII:- बोर्ड की बैठकें :

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की चार बैठक आयोजित की गई।

IX:- निदेशक मण्डल :

01. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक हैं ।
    (i) श्री के.आर. वासुदेवन
    (ii)श्री के. के. राउल
    (iii) ए.के.सिंह
    (iv)श्री ए. हुसैन
    (v) श्री संदीप जी.गोखले
    (vi) श्री सी.पी.टटेड
    (vii) श्री एस.एस.उपाध्याय
    (viii)श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता

02. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

i. श्री ए. के. सिंह

03. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नहीं रहे।
शून्य।

X:- निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की गई है कि

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा (भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण) की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था :

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय और मूल्यांकन किए, जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों में तथा समीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी :

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खाते (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण) तैयार किए थे।

अभिस्वीकृति :

आपके निदेशकगण एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सभी पहलुओं में उनके सहयोग और सहायता के लिए एमसीएल का धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक सभी हितधारकों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण श्रम संघ को एमजेएसजे कोल लिमिटेड के प्रबंधन का सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हैं ।

आपके निदेशक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा रजिस्टर ऑफ कंपनी ओडिशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी उनकी सराहना करते हैं।

ह/-

दिनांक : 06.07.2021
स्थान: अंगुल

अध्यक्ष,
एमजेएसजे कोल लिमिटेड

31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेडके वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा04 मई, 2021 को की गई लेखा परीक्षामें ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशकलेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21.06.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण, एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों का प्रतिवेदन

मत

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) के साथ-साथ नकद प्रवाह विवरण और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह तथा उस तिथि को समाप्त के इक्विटी में बदलाव से संबंधित हैं और इसके बाद हमारी टिप्पणियों के अधीन है।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है।. हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हमने एक राय बनाई है, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि और तुलनपत्र का विवरण तैयार किया है। चूंकि कंपनी को आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया गया है तथा वहाँ कोई परियोजना गतिविधि नहीं है, और डिप्टी सी एंड एजी द्वारा ऐसा करने के लिए मौखिक सलाह के आधार पर कंपनी ने लाभ और हानि और तुलनपत्र का विवरण तैयार किया है, जिसमें हमें उनके दावे का कोई सबूत प्राप्त नहीं हो सका है। पिछले वैधानिक लेखा परीक्षकों ने लाभ और हानि तथा तुलनपत्र के विवरण को प्रमाणित किया है।

हालांकि बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए 43.78 लाख रुपये के नुकसान को दर्शाते हुए लाभ और हानि तथा तुलनपत्र के विवरण को मंजूरी दे दी है, लेकिन बोर्ड के पास इस तरह के लाभ और हानि का विवरण तैयार करने के लिए कोई विशिष्ट संकल्प नहीं है, 2020-21 के दौरान किए गए कोयला ब्लॉक के गैर-आवंटन और व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व एवं शासन-विधि

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('अधिनियम') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार सत्य और सही प्रकटन करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है, जो कि संस्था, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या यथार्थवादी नहीं है वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित मानी जा सकती है।

मामलों का महत्व

कंपनी ने मूल रूप से कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति के रूप में 111.24 करोड़ रूपये प्रस्तुत किए। हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 111.24 करोड़ रुपये की राशि को घटाकर 22.248 करोड़ की गई और तदनुसार कंपनी ने एसबीआई, तालचेर द्वारा जारी किए गए धारक संख्या 50/48 के साथ बैंक प्रत्याभूति को उसी राशि के लिए प्रस्तुत की, जो दिनांक 30.03.2021 तक वैध है तथा बाद में बैंक से अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया जो दिनांक 30.09.2021 तक वैध है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

हमने नीचे वर्णित मामलों में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया।
कोल ब्लॉक का आवंटन	चार कंपनियों (एमसीएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसएसएल, एसडीएल) द्वारा संयुक्त उद्यम को कोयला ब्लॉक के हस्तांतरण का पत्र हमारे सत्यापन के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
कोल ब्लॉक का गैर-आवंटन	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक को 24 सितंबर 2014 को आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। तदनुसार कंपनी को पहले आवंटित उत्कल-ए कोल ब्लॉक (गोपालप्रसाद-पश्चिम सहित) को भी रद्द कर दिया। हालांकि अब तक कंपनी को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से गैर-आवंटन हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस आशय का कोई बोर्ड संकल्प नहीं है।
कोल ब्लॉक का गैर-आवंटन	एमसीएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसएसएल, एसडीएल द्वारा एमजेएसजे कोल लिमिटेड को कोयला ब्लॉक के आवंटन का पत्र/संचार हमारे सत्यापन के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के उपरांत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण, उस पर किए गए कार्यों और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव की एक रिपोर्ट अनुलग्नक -ख में देते हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार हम वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षा, उस पर किए गए कार्यों और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के पश्चात कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त अनुदेशों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -ग में प्रस्तुत करते हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-

क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो कि लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी जानकारी के अनुसार जरूरी तथा भरोसेमंद थे।

ख) हमारे विचार से कानून द्वारा आवश्यक सभी वांछित लेखा बही को कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक थे।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में बदलाव को इस रिपोर्ट में लेखा-बही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से उपर्युक्त भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण में कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्दिष्ट मानकों का पालन किया गया है।

ड) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31मार्च, 2021 के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2021 के अनुसार नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को अयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से संलग्न रिपोर्ट (अनुलग्नक-घ) में उल्लेखित हैं।

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियमावली, 11 (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी सामग्री को कोई हानि हो।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए राशि की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटैंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई

ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

(अनुलग्नक उस तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ I में संदर्भित है)

I) अचल संपत्तियों के संबंध में : यह कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर संख्यात्मक ब्यौरा तथा अचल परिसंपति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकार्ड का रख-रखाव करती है।

प्रबंधन द्वारा अचल परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

कंपनी के नाम पर रखे गए अचल संपतियों के टाइटल डीड इस तथ्य को देखते हुए कि कंपनी कोल ब्लॉक के गैर-आवंटन के पश्चात अचल संपति की मालिक नहीं है, लागू नहीं होते हैं।

Ii) वस्तु-सूची के संबंध में : वर्ष के दौरान कंपनी के पास कलपुर्जों एवं कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। अतः प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इसकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई।

Iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत पार्टी का ऋण तथा अग्रिम

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी को कोई ऋण या अग्रिम इस वर्ष के दौरान नहीं दिया गया, इसलिए -

क) लागू नहीं

ख) लागू नहीं

ग) लागू नहीं

Iv) कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति

कंपनी ने कोई ऋण या ऋण/निवेश/गारंटी/प्रतिभूति नहीं दी है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं, इस संबंध में रिपोर्टिंग नहीं होती है।

V) जनता से स्वीकृत जमा

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया तद्नुसार कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है।

Vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड का रख-रखाव

लागू नहीं।

Vii) सांविधिक बकाया के संबंध में

एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए स्टाफ के अतिरिक्त कंपनी का अपना कोई स्टाफ नहीं है। अतः वर्ष के दौरान भविष्य निधि देय की कटौती एवं जमा लागू नहीं होता। पुनः चंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन एवं बिक्री शुरू नहीं किया है, अतः सरकार को कोई वैधानिक भुगतान देय नहीं है।

viii) बैंक या वित्तीय संस्थान से ली गई ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने किसी संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड लागू नहीं होता।

ix) पैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से (ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये गए है, उनपर लागू है।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (प्रकृति तथा राशि)

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

XII) निधि कंपनी से संबंधित प्रावधान

लागू नहीं।

XIII) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 के तहत् पार्टी के लेन-देन से संबंधित अनुपालन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है।

XIV) वर्ष के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

XV) निदेशकों तथा उनके साथ जुड़े सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनके साथ जुडें सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है।

XVI) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुभाग 45-आई.ए. के अंतर्गत पंजीकरण

लागू नहीं।

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई
ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड, अंगुल के लेखा खातों का परीक्षण किया है और हम यह प्रमाणित करते है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया है।

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई
ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

अनुलग्नक –क

कंपनी: एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
अनगुल, ओडिशा
वित्तीय वर्ष: 2020-21

<u>वर्ष 2020-21 के लिए लेखा के लेखा परीक्षा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के 143(5) के सी एंड जी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन</u>

क्र	निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	जैसा कि सूचित किया गया है कि कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित की कोई व्यवस्था नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिये गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / राइट ऑफ के मामले नहीं थे।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य नहीं है। इसलिए उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई
ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

अनुलग्नक –ख

वर्ष 2020-21 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन।

कंपनी: एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड अनगुल, ओडिशा

वित्तीय वर्ष: 2020-21

क्र.संख्या	जारी निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक माप किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ है? क्या वर्ष के दौरान नए हीप के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली गई है।	लागू नहीं
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है।
3	क्या सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों में प्रत्येक खान के लिए एस्क्रो खातों का रखरखाव किया जाता है? खातों की फंड के उपयोग का भी परीक्षण किया जाता है?	लागू नहीं
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए दंड के प्रभाव को विधिवत माना गया है ?	लागू नहीं

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई
ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

अनुलग्नक – ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च 2021, कंपनी के रूप में एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (द कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारतीय चार्टड अकाउंटेन्ट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। यह मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाता है, (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं ब्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभावों होसकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं :-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए कंपनी की अपनी लेखा नीति या प्रक्रिया नियमावली नहीं है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एमसीएल की सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी एमसीएल की नीतियों का पालन कर रही है। हालांकि कंपनी के पास उपलब्ध वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया/प्रक्रिया पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वीकृति के संबंध में कोई बोर्ड संकल्प नहीं है।

कृते ए.के.कर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रेजिस्ट्रेशन सं – 310081ई
ह/-
सीए. अस्विनी कुमार कर
प्रधान भागीदार
सदस्यता सं: 017804
यूडीआईएन:21017804AAAABG9144

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 04.05.2021

फॉर्म संख्या. एम.आर.-3

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
एमजेएसजे कोल लिमिटेड
सी.आई.एन.-U10200OR2008GOI010250
हाउस नं.42 (प्रथम तल), आनंद नगर
हकीमपाड़ा, पोस्ट. अंगुल, अंगुल-759153, ओड़िशा

मैंने/हमने एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड(तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गयाजिससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार परहमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैकि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।

मैंने/हमने 31 मार्च,2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों,कागजातों,कार्यवृत्तबहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहतबनाये गए नियम।

(ii) प्रतिभूतिअनुबंध (विनियमन)अधिनियम, 1956('एससीआरए') औरउसके अधीन बनाये गए नियम (लागू नहीं है।)

(iii) डिपॉजिटरीअधिनियम, 1996 औरअधिनियमके अधीन बनेनियम औरउपनियम;(लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 औरउसके अधीन बनेनियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्षनिवेशऔर बाह्य वाणिज्यिक उधारशामिल हैं;(लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लागू नहीं)

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेनिंग का निषेध)अधिनियम, 1992, (लागू नहीं)

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; (लागू नहीं)

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; (लागू नहीं)

च. कंपनी अधिनियम व् पक्षकारों के साथ निपटानसंबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता केपंजीयक) विनियम, 1993 (लागू नहीं)

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम 2009; (लागू नहीं)

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) विनियम1998;(लागू नहीं)

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट शासन पर दिशानिर्देश।

(vii) निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निर्देशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा परीक्षण किये गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र के आधारपर अनुपालन किये जा रहे हैं और प्रक्रियाएं सत्यापित की जा रही है:

क. खान अधिनियम, 1952

ख. खान रियायत नियमावली, 1960

ग. खान बचाव नियम, 1985

घ. खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ङ. खान (पोस्टिंग ऑफ एब्सट्रेक्ट) नियमावली, 1954

च. खान और खनिज (विकास विनियम) अधिनियम, 1957

छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985

ज. भारतीय विस्फोटक नियमावली, 2008

झ. कोयला खान विनियम, 1957

ञ. कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974

ट. कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ठ. कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948
ड. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
ढ. जल(प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम), 1974
ण. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
त. मजदूरी का भुगतान (खान) नियमावली, 1956
थ. अनर्जित मजदूरी का भुगतान (खान) नियमावली, 1959
द. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963
ध. कॉलियरी नियंत्रण आदेश, 2000
न. कॉलियरी नियंत्रण नियम, 2004
प. इंडियन ब्यूरों ऑफ माइंस(इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रिशियन) भर्ती नियमावली, 1990

मैंने/हमने निम्नालिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
ii. किसी भीशेयर बाजार(बाज़ारों) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा सूचीगत समझौते किए गए। (लागू नहीं)

मैंने/हमने राजकोषीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्डों और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्ट नहीं किया हैं,क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान उनकी समीक्षा की जानी है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र के आधार पर कंपनी पर लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, सचिवीय मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति की गई है।कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसारस्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़करकंपनी ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया जा रहा है एवं एसोसिएशन के लेखों से आगे यह सत्यापित किया गया है कि कंपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे शेयरधारकों के बीच एक संयुक्त उद्धम समझौते द्वारा शामिल किया गया है और इस तरह कंपनी को कंपनी (नियुक्ति और योग्यता) नियमावली 2014 के नियम 4 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे और बोर्ड को सूचना का प्रकटीकरण पर्याप्त था और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड की बैठक को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को सूचना दी गई है और कार्यसूचीएवं उस पर विस्तृत सूचना कम से कम सात दिन पहले भेजदी गई थी और कार्यसूची पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद हैं। बोर्ड एवं समिति की बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यवृत्त में बहुमत निर्णय सर्वसम्मति से और विधिवत् दर्ज किये जाते हैं।

हमआगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएँ हैं।

हमने इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से कोविड 19 और उसके बाद की लॉकडाउन स्थितियों के कारण कंपनी की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन और अभिलेखों की जांच की है।

टिप्पणी: इस रिपोर्ट को वर्तमान तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जिसे 'अनुलग्नक क' और'अनुलग्नक ख' के रूप में संलग्नित किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

पी नायक एंड असोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस प्रियदर्शी नायक
साझेदार
एफ़सीएस-6455,सीपी नं- 7042
यू.डी.आई.एन.-F006455C000525237

दिनांक : 28.06.2021

स्थान: भुवनेश्वर

टिप्पणी:

1. हमने रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से कोविड 19 और उसके बाद की लॉकडाउन स्थितियों के कारणकंपनी द्वारा सुविधाजनक और प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन और परीक्षण किया है।

'अनुलग्नक-क'

सेवा में,
सदस्यगण,
एमजेएसजे कोल लिमिटेड
हाउस नं.42 (प्रथम तल), आनंद नगर
हकीमपाड़ा, पोस्ट ऑफिस-अंगुल, अंगुल-759153, ओड़िशा

इस तिथि तक के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये।

1) सचिवीय रिकार्ड का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करना है।
2) हमनेसचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारे मत को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4) हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5) कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।

   सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी का संचालन किया है।

पी नायक एंड असोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस प्रियदर्शी नायक
साझेदार
एफ़सीएस-6455,सीपी नं- 7042
यू.डी.आई.एन.-F006455C000525237

दिनांक : 28.06.2021

स्थान: भुवनेश्वर

सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन और जवाब के प्रभावी बिन्दु

क्रमांक	निरीक्षण		प्रबंधन का जवाब
1	क्या कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14-05-2010को जारी दिशा-निर्देशों और बोर्ड और समिति में बोर्ड के सदस्यों के इष्टतम संयोजन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013का पालन किया था।		कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक-14.05.2020 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र दिनांक-09.06.2021 के अनुसार किया है। "कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4(2) के तहत, संयुक्त उद्यम (असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी) नियमावली 4 के उप-नियम 1 के तहत अंतर्निहित नहीं है, यानी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

पी नायक एंड असोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस प्रियदर्शी नायक
साझेदार
एफ़सीएस-6455,सीपी नं- 7042
यू.डी.आई.एन.-F006455C000525237

दिनांक : 28.06.2021

स्थान: भुवनेश्वर

31.03.2021 के अनुसार तुलनपत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.75	0.97
ख) पूंजीगत कार्य में प्रगति	4	-	-
(ग) अन्वेषित और मूल्यांकित संपत्ति	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	-	-
(च) स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
(छ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति	10	-	-
कुल गैर - चालू संपत्तियां (क)		**0.75**	**0.97**
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु-सूची	12	-	-
((ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	1,917.05	1,822.91
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	5,708.68	5,713.70
(ग)चालू कर संपत्तियाँ (निवल)		130.62	122.04
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	86.39	81.72
कुल चालू संपत्तियां (ख)		**7,842.74**	**7,740.37**
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		**7,843.49**	**7,741.34**

31.03.2021 के अनुसार तुलनपत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी और देयताएं			(रु. लाख में)
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,510.00	9,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-2,106.10	-2,062.32
कुल इक्विटी (क)		7,403.90	7,447.68
देयताएँ			
गैर चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(à) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	439.12	293.30
(ख)अन्य चालू देनदारियां	23	0.47	0.36
(ग) प्रावधान	21	-	-
कुल चालू देनदारियाँ (ग)		439.59	293.66
कुल इक्विटी और देनदारियां (क+ख+ग)		7,843.49	7,741.34

संलग्न टिप्पण वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. राउत)	(ए. के. राय)	(पी. पी. गुप्ता)	(ए. के. सिंह)	(के. आर. वासुदेवन)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	रीईओ/जीएम	निदेशक	अध्यक्ष
			डीआईएन-08667576	डीआईएन-07915732

आज तक की हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी की ओर से
एफआरएँ –310081ई
ह/-
सी ए. के. कर
साझेदार , मो. सं-017804

दिनांक :26.04.2021
स्थान: अनगुल

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व			
क. विक्रय (अन्य लेवी का निवल)		-	-
ख. अन्य परिचालन राजस्व (अन्य लेवी का निवल)		-	-
(I) संचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
(II) अन्य आय	24	105.00	-
(III) कुल आय (I+II)		105.00	-
(IV) व्यय			
खपत सामग्री की लागत		-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	25	81.63	-
ऊर्जा व्यय			
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		-	-
मरम्मत		-	-
संविदात्मक व्यय		-	-
वित्त लागत	26	10.94	-
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		0.22	1,961.00
प्रावधान		-	-
बट्टे खाते डालना		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
अन्य व्यय	27	55.99	-
कुल व्यय (IV)		148.78	1,961.00
(V) असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ(III-IV)		-43.78	-1,961.00
(VI) असाधारण गद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ V-VI)		-43.78	(1961.00)
(VIII) कर व्यय	28	-	
(IX) सतत संचालन अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		-43.78	(1961.00)
(X) बंद प्रचालन से लाभ / (हानि)		-	
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	
(XII) बंद प्रचालन से लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	
(XIII) सयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	
(XIV) अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		-43.78	(1961.00)

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आय			
A (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
B (i)मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल		-	-
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामी		-43.78	(1961.00)
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	
		-43.78	(1961.00)
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामी		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामी		-43.78	-1,961.00
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-43.78	-1,961.00
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1) मूल		-0.05	-2.06
(2) मंदित		-0.05	-2.06
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु):			
(1) मूल		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय ((सतत और बंद प्रचालन हेतु):			
(1) मूल		-0.05	-2.06
(2) मंदित		-0.05	-2.06
ईपीएस की गणना हेतु नोट देखें			

संलग्न टिप्पण वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. राउत)	(ए. के. राय)	(पी. पी. गुप्ता)	(ए. के. सिंह)	(के. आर. वासुदेवन)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सीईओ/जीएम	निदेशक	अध्यक्ष
			डीआईएन-08667576	डीआईएन-07915732

आज तक की हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी की ओर से
एफआरएँ – 310081ई
ह/-
सी ए. के. कर
साझेदार , मो. सं-017804

दिनांक :26.04.2021
स्थान: अनगुल

नगद प्रवाह विवरणी (अप्रत्यक्ष विधि)

(रु. लाख में)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		(43.78)	(1,961.00)
के लिए समायोजन :		-	-
अचल परिसंपतियों की हानि/मूल्यह्रास		0.22	1,961.00
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		(105.00)	-
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्तीय लागत		10.94	-
निवेश से ब्याज /लाभांश		-	-
अचल परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना		-	-
वर्ष के दौरान देयता का प्रतिलेखन		-	-
अग्रिम स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन		-	-
चालू / गैर चालू परिसंपतियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ		(137.62)	-
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्तियां		-	-
वस्तु सूची		-	-
लघु / दीर्घकालिक ऋण / अग्रिम और अन्य चालू परिसंपतियां		(8.23)	(5,600.73)
लघु / दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान		145.93	166.71
प्रचालन से नगद प्राप्ति		0.08	(5,434.02)
आय कर का भुगतान /वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	(A)	0.08	(5,434.02)
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपतियों की खरीद		(0.00)	5,602.64
बैंक जमा में निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज /लाभांश		105.00	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	(B)	105.00	5,602.64

वित्तीय गतिविधि से संबंधित नगद प्रवाह

उधार का पुनर्भुगतान		-	-
लघु अवधि भुगतान		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(10.94)	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश एवं लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन: क्रय		-	-
वित्तीय गतिविधि में प्रयुक्त निवल नगद	(C)	(10.94)	-
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि /(कमी) (क+ख+ग)		94.14	168.62
नगद एवं बैंक शेष (प्रारम्भिक शेष)		1,822.91	1,654.29
नगद एवं बैंक शेष (अंतिम शेष)		1,917.05	1,822.91

(कोशतक के सभी आँकड़े आउटपलो को दर्शाते हैं)

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. राउत)	(ए. के. राय)	(पी. पी. गुप्ता)	(ए. के. सिंह)	(के. आर. वासुदेवन)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सीईओ/जीएम	निदेशक	अध्यक्ष
			डीआईएन-08667576	डीआईएन-07915732

आज तक की हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी की ओर से
एफआरएँ – 310081ई
ह/-
सी ए. के. कर
साझेदार , मो. सं-017804

दिनांक :26.04.2021
स्थान: अनगुल

31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2019 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2020 तक शेष	दिनांक 01.04.2020 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2021 तक शेष
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00	9,510.00	-	9,510.00

ख. अन्य ईक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2019 तक शेष	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
अन्य समायोजन			-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान हुई त्रुटि	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2019 तक पुन: वर्णित	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(1,961.00)	-	(1,961.00)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
सामान्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2020 तक शेष	-	-	-	(2,062.32)	-	(2,062.32)
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(43.78)	-	(43.78)
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से /को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 तक शेष	-	-	-	(2,106.10)	-	(2,106.10)

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (एमजेएसजेसोआईएल), एक सार्वजनिक उपक्रम है,जिसका मुख्यालय ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की 60% सहायक कंपनीके रूप में शामिल किया गया था।

यह कंपनी मुख्य रुप से कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी विकासशील स्थिति में है। कंपनी की समूह संरचना कोटिप्पणी संख्या-29 में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भा.लेखा.मा.) के अनुसार तैयार किया गया है।

एमजेएसजे कोल लिमिटेड (जिसे कालांतर में कंपनी के नाम से जाना जाने लगा) ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष तथा इसके पूर्ववर्ती वर्षो को शामिल करते हुये कंपनी अधिनि म, 2013 केखंड 133, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक (लेखा.मा.) का अनुकरण करते हुये अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

वित्तीय विवरण को पूर्ववर्ती लागत मापन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय –

- कुछ वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय साधनों की लेखांकन नीति को अनुच्छेद संख्या 2.15 में देखें)
- परिभाषित लाभ योजनाएँ– उचित मूल्य पर मापी गई रांपत्ति;
- कीमतों की सूचियाँ या एनआरवी जो भी कम हो। (अनुच्छेद संख्या-2.20 में लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक 'रुपये लाख' में दो दशमलव अंकों तक रांउड ऑफ किए जाएंगें।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर आस्तियोंएवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में आस्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह आस्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है।

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर आस्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. आस्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब :

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाया देयता का निपटान किया जाना है अथवा,

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 11 और भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखांकन मानक 115ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पंच-चरणीय मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल या कंपनी) ने अभिग्रहण करने की पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध हेतु मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड भारतीय संघ नियंत्रित एक उद्यम है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है और जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब वस्तु या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचैंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कंपनी ने समान्यतः निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि वह वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को लागू किया जाता है :

चरण1: अनुबंध की पहचान

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है :

क. अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ख. कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग. कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाऔ से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है।

घ. अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ङ. यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है,यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है,यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा,यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता हो तो -

क. एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;

ख. अनुबंध में भुगतान की जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग. अनुबंध में तय किये गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियों मौजूद हो :

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान :

अनुबंध करते समय,कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रत्येक प्रतिबद्धता ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है कि :

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहकों के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न की होता है।

चरण 3 :लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर रो एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिवद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वितपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नगद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहाँ लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस
राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। प्रतिदाय दायित्व (लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और इसलिए अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध के प्रारंभ होने के बाद लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5 : राजस्वकोमान्यतादेना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए,कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;
ख) कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपत्ति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है:
ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रखकर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे –जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन आनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं होता तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को हस्तांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा का स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में विचार करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध आस्ति :
एक अनुबंध संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित विचार के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त होती है।

व्यापार प्राप्ति :
कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो शर्तरहित है (यानी, भुगतान से पूर्व केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)।

अनुबंध देयताएँ:
अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले ग्राहक पर विचार करता है, तो भुगतान या देय (जो भी पहले हो) होने पर एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में पहचाना जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें समूह संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती हैं जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सरकारी अनुदान/ संपत्ति से संबंधित अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करकेतुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और आस्ति के उपयोगी समय पर क्रमबद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आयसे संबंधित अनुदान (जैसे संपत्ति के अतिरिक्त अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ व हानि के विवरणके रुप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य सेप्राप्य होते है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष "से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

यदि एक अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचानी गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो वह अनुबंध पट्टा, या पट्टे को सम्मिलित करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रुप में कंपनी

प्रारंभ में, पट्टेदार लागत पर एक सही-उपयोग की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को पहचान लेगा जिसका उस तिथि तक भुगतान नही किया गया हो।

तत्पश्चात, उपयोग-अधिकार आस्ति को कॉस्ट मॉडल का उपयोग कर मापा जाता है जबकि पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को दर्शाने के लिए कैरिंग राशिको बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए कैरिंग राशि को घटाकर पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु कैरिंग राशि को पुनरांकित कर मापा जाता है।

2.5.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

सभी पट्टा चाहे वह परिचालन पट्टा हो या वित्तीय पट्टा के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व में आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा – परिचालन पट्टा से पट्टा भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पर उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करें जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्तीय पट्टा –एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई आस्ति को शुरू में इसके तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को आँकने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों (या निपटान समूह) को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 01 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए अन्य गैर चालू आस्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि आस्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगी, जब:

- एक उपयुक्त स्तरीय प्रबंधन परिसंपति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को सक्रिय रूप से उस मूल्य पर बिक्री के लिए विपणन किया जा रहा है जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है।
- विक्रय को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद है, और
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई.):

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन: स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल है।

मान्यता के पश्चात, सभी आस्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों के मद कोकम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास एवं लागत मॉडेल के तहत किसी भी संचितनुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित हैं :

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुगानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें सामान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि समूह के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेंद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ समूह के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर

व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा:

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)		-परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।
कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अन्य भूमि का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या समूह के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.8खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।.

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियां

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियां में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- पूर्ववर्ती अन्वेषण आंकड़ों का शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियां के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत विकास में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 <u>विकास व्यय –</u>

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा विकास शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन:
परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर अन्य खनन आधारित संरचना के नामकरण के तहत आस्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.11 <u>अमूर्त आस्तियां -</u>

प्राप्त अमूर्त आस्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन(उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त आस्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त आस्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त आस्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं आस्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.12 संपत्ति की हानि (वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त)

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। आस्तियों से प्राप्त राशि, आस्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत आस्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक आस्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई आस्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु समूह व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि आस्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान आस्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.13 <u>निवेश संपत्ति</u>

आस्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पतियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.14 <u>वित्तीय दस्तावेज:</u>

वित्तीय साधन एक अनुबंधहै जो कि आस्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.14.1 वित्तीय आस्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय आस्तियां जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य परसाथ ही वित्तीय आस्तिया के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय आस्तिया को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय आस्तियां की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर आस्तियां की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे

व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जो -

क. आस्तियां को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य आस्तियां के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर आस्तियां के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज(एस.पी.पी.आई.) की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर (ई.आई.आर.)विधि का उपयोग करते हुए ऐसे वित्तीय आस्तियां को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ई.आई.आर. के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार कियागया है।

2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. में ऋण साधन :

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो ऋण दस्तावेज का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय आस्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. आस्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य को अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे राग्रूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। आस्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए

है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस ईआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफ.वी.टी.पी.एल. में ऋण साधन -

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ड्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएलके रूप में श्रेणीकरण केमानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एकडेब्ट इंस्ड्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएलमें ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई केमानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो (लेखांकन बेमेल के रूप में सदर्भित किया जाता है।)। कंपनी ने किसी डेब्ट इंस्ड्रूमेंट कोएफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक ,28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.2.5 <u>अन्य इक्विटी निवेश</u>

भारतीय लेखांकन मानक 109के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। समूह ऐसा चुनाव इंस्ट्रुमेंट दर इंस्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनीएफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहाँ तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी

इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.14.2.6 <u>मान्यता समाप्त करना</u>

एक वित्तीय आस्ति (या जहाँ लागू हो,आस्ति के एक भाग या समान वित्तीय आस्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- आस्तियां से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- कंपनी ने आस्तियां से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जबकंपनी ने आस्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। रातत भागीदारी जो कि संपति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (वास्तविक मूल्यों के अतिरिक्त)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए समूह अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय आस्तियाँजो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणतः ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1प्रारंभिक मान्यता एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार एवं अन्य देय, ऋण तथा उधार शामिल है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2आगामी माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।:

2.14.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में समूह द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में माना गया है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। सम इक्विटी के भीतर

संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित आस्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4वित्तीय आस्तियों का पुन:वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयतायां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तनतब होता हैजब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय आस्ति को पुन: पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी रहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओमीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय इन्सट्रूमेंट की ऑफसेटिंग

वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.15उधार लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जबवह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तोउसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर,अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरोंकी देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकार किया जाता है।
काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओंको मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथाब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या राभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है किआस्थगित कर संपत्ति केसभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर गापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

2.17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 पारिभाषित लाभांश योजनाएं

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं।इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयतायां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनीको आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओं में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण मेंखर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.18विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.19 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अपशिष्ट (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला प्राप्त किया जा सके।अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रीपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान आस्तियां के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना ेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है। :-

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचलन की स्वीकार्य सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहाँ उपरोक्त भिन्नता स्वीकृत सीमा से परे हो, तो वहाँ उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1कोयले का भंडार

कोल/कोक कीवस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना वेटेड एवरेज पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोलआरक्षितस्टॉक खाते में यह माना जाता हैकि जहाँ आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5%से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य परमूल्यवान होते हैंऔरउसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर केवाशरी औरउनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें छोटे-मोटे औजार भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/ड्रीलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आस्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होऔर यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहाँ दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहाँ यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों कोआकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोटनहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जबआय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएँ यथोचित होती है।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजितकरके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय,आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं आस्तियां और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक आस्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत रो भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें राबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों गें गान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करती है।

Ii. केवल कानूनी रूपों को प्रतिबिंबित न करें बल्कि लेनदेन की आर्थिक घटनाओं और अन्य घटनाओं स्थितियों को परिलक्षित करना।

Iii. तटस्थता अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और आस्तियां , देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति नपैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय विवरण को लेखांकन के प्रोद्भवन का उपयोग करते हुए ऑन-गोइनिंग–कंसर्न आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी

मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई त्रुटियां/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जा सकता है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले ऑडिट वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। । कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। मौजूद परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणा बाजार में बदलाव या परिस्थिति के कारण बदल सकती है जो कंपनी के नियंत्रण से परए हैं। ऐसे बदलावहोने पर मान्यताओं में दर्शाये जाते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

अगर किसी आस्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। समूह हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए समूह अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियां की राशि का निर्धारण

किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्यूटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त आस्तियाँ-

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाएगा है।

2.23.2.6 खानों बंदी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना व निवर्तन दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में छूट दर, साइट पुनः स्थापना और निर्वहन तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट अनुमानित लागतप्रति हेक्टर होगी।
- छूट की दर (प्रति कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए मौजूदा बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई
ख.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ड़.	जीएएपी	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
च.	इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
छ.	ओसीआई	अन्यव्यापकआय
ज.	पीएंडएल	लाभ और हानि
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ट.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि सुधार /साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल, आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन संरचना	परिसंपत्तियों का सर्व ओफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :																
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	4,125.23	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	4,136.66
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	-	-	-	-	-	0.57
विलोपन/समायोजन	-	(4,125.23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,125.23)
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
संचित मूल्यह्रास और हानि																
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	11.43
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	0.17
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.57)	-	-	-	-	-	(0.57)
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.03	-	-	-	-	-	11.03
दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.03	-	-	-	-	-	11.03
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	0.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.25	-	-	-	-	-	11.25
निवल वहन राशि																
दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	0.75
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	0.97

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : कैपिटल विप

(रु. लाख में)

	भवन (जल, आपूर्ति, रोड तथा पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कोरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि							
दिनांक1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	1,907.46	-	-	1,907.46
परिवर्धन	-	-	-	53.54	-	-	53.54
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
दिनांक1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
परिवर्धन				-			-
पूंजीकरण				-			-
समायोजन/विलोपन				-			-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
प्रावधान एवं हानि							
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-	-		-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-		1,961.00
							-
दिनांक1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	1,961.00	-	-	1,961.00
निवल वहन राशि							
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि :	
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	1,531.92
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	-
समायोजन/विलोपन	(1,531.92)
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-
दिनांक1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	-
समायोजन/विलोपन	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-
परिशोधन और हानि	
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-
अवधि के लिए शुल्क	-
हानि	-
समायोजन/विलोपन	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-
दिनांक1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-
अवधि के लिए शुल्क	-
हानि	-
समायोजन/विलोपन	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2021 के अनुसार	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
दिनांक1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-
दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-
दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2021 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7 :निवेश

(रु. लाख में)

गैर-चालू निवेश	शेयरों/इकाई की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
शेयरों में निवेश			-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर			-	-
कुल (क)			-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)			-	-
कुल (ख)			-	-
सकल योग (क+ख)			-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि :			-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				

निवेश

(रु. लाख में)

चालू	इकाइयों की संख्या	एनएवी (रु. में)	के अनुसार 31.03.2021	31.03.2020
म्यूचुअल फंड निवेश			-	-
कुल :			-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि::			-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8 : ऋण

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
-क्रेडिट जोखिम में वृद्धि महत्वपूर्ण	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
-क्रेडिट जोखिम में वृद्धि महत्वपूर्ण	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
बैंक जमा	-	-
साइट पुनर्स्थापना हेतु जमा और प्राप्य:		
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	-
अन्य जमा (खदान बंदी समवर्ती व्यय)	-	-
खदान बंदी व्यय हेतु एस्क्रो खाते से प्राप्य	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
कुल	-	-

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
टिप्पणी - 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
चालू		
साइट पुनर्स्थापना हेतु जमा और प्राप्य :		
अन्य जमा (खदान बंदी सहमति व्यय)		
खदान बंदी व्यय हेतु एस्क्रो खाते से प्राप्य	-	-
	-	-
सीआईएल/अनुषंगियों के साथ चालू खाता		
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अर्जित ब्याज	-	-
	51.53	56.54
दावे और अन्य प्राप्य		
घटाव : संदिग्ध दावे के लिए भत्ता	5,657.15	5,657.16
	-	-
कुल	5,708.68	5,713.70

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ग) संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
(घ) खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपतियाँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
ग) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम और जमा	86.39	81.72
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	86.39	81.72
(ङ) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
घटाव : प्रावधान	-	-
च) खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		
	-	-
कुल	86.39	81.72

टिप्पणी- 12 : वस्तु-सूची

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
जोड़ : मार्गस्थ भंडार	-	-
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक (लागत पर)	-	-
(ग) कार्यशाला कार्य तथा प्रेस कार्य	-	-
कुल	-	-

अनुलग्नक टिप्पणी - 12
(मात्रा लाख टन में) (₹ लाख में)

तालिका :क

वर्ष के अंत में 31.03.2021 तक बुक स्टॉक के साथ लेखा में अपनाए गए अंतिम स्टॉक का मिलन करना

	समग्र स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) दिनांक 01.04.20 को प्रारम्भिक स्टॉक	-	-	-	-	-	-
(ख) 5% से अधिक कमी			-	-	-	-
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	-	-	-	-	-	-
2. अवधि के दौरान उत्पादन		-	-	-	-	-
3. उप-योग (1A+2)	-	-	-	-	-	-
4. अवधि के दौरान ऑफ -टेक	-	-	-	-		
(क) बाहरी प्रेषण		-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) स्व-खपत		-	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-
5. व्युत्पन्न स्टॉक	-	-	-	-	-	-
6. मापी गई स्टॉक	-	-	-	-	-	-
7. अंतर (5-6)	-	-	-	-	-	-
8. अंतर का वर्गीकरण :						
(क) 5% के भीतर अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
(ख) 5% के भीतर कमी	-	-	-	-	-	-
(ग)) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अपनाया गया अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	-	-	-	-	-	-

तालिका :ख

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				परिष्कृत / अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नॉन-कोकिंग		कोकिंग		नॉन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारम्भिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% से अधिक कमी			-	-							-	-
घटाव : विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित प्रारम्भिक स्टॉक (विक्रय अयोग्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऑफ-टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्व-खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाव - कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधिक			-	-								
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टॉक की भौतिक जांच की है। कुछ क्षेत्रों में बाहरी दल द्वारा इसकी समीक्षा की गई। भौतिक जांच में यदि बूक स्टॉक से +/-5 % तक का अंतर होता है तो लेखांकन नीति के तहत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य (रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित और अच्छा माना गया।	-	-
असुरक्षित और अच्छा माना गया।	-	-
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्त्वपूर्ण वृद्धि	-	-
क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 14 : नकद और नकद समकक्ष

(रु. लाख में

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
(क) बैंक के साथ शेष		
जमा खाते में	-	-
चालू खाते में		
- ब्याज सहित (सीएलटीडी)	1,917.05	1,738.93
- ब्याज रहित	-	83.98
नकद क्रेडिट खाते में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर के साथ	-	-
(घ) नकद	-	-
(ङ) भारत के बाहर नकद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समकक्ष	1,917.05	1,822.91
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवेरड्राफ्ट का निवल)	1,917.05	1,822.91

1. नकद और नकद समकक्षों में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता , स्वीप खाते और सावधि जमा शामिल हैं।

2.बैंक खातों के विवरण के अनुसार शेष राशि -
ब्याज सहित (सीएलटीडी) खाता (31901170990 एवं अन्य) -- रु.1923 .89 लाख
ब्याज रहित खाता (30533665105 & 911020065579852)-रु.. शून्य
नोट -14 (ए) की तुलना में बैंक विवरण के अनुसार बैंक शेष राशि में कोई भिन्नता नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
बैंक के साथ शेष		
जमा लेखा	-	-
जमा लेखा (विशेष उद्देश्य के लिए)	-	-
कुल	-	-

वर्गीकरण के लिए नोट देखें

1. अन्य बैंक शेष में आवधिक जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

2. उपरोक्त बैंक जमा में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई जमा नहीं है

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
प्राधिकृत	31.03.2021	31.03.2020
प्रत्येक रु. 10/- के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	**20,000.00**
जारी की गई, सदस्यता ली गई एवं चुकाई गई प्रत्येक रु.10/- के 9,51,00,000 इक्विटी शेयर	9,510.00	9,510.00
	9,510.00	**9,510.00**

1. प्रत्येक शेयरधारक द्वारा 5% से अधिक शेयर रखने वाली कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	रखे गए शेयरों की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का %
एमसीएल (धारक कंपनी)	57060000	60
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10461000	11
जेएसडब्ल्यू एनेर्जी लिमिटेड	10461000	11
जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	8559000	9
श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड	8559000	9

2. इस अवधि के दौरान, कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया और न ही

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

((रु. लाख में))

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2019 तक शेष	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-		-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2019 तक पुन: वर्णित शेष	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(1,961.00)	-	(1,961.00)
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्माप (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में /से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2020 को शेष	-	-	-	(2,062.32)	-	(2,062.32)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(43.78)	-	(43.78)
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्माप (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 को शेष	-	-	-	(2,106.10)	-	(2,106.10)

* इक्विटी में बदलाव के विवरण को भी देखें .

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18: उधार

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
अवधि ऋण	-	-
अन्य बैंक	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
- बैंक से	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टी से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 19 : व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य व्यापार के लिए प्राप्य	-	-
भंडार और पुर्जों	-	-
ऊर्जा एवं इंधन	-	-
अन्य व्यय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी :

1.अन्य: (प्रमुख मद)	-	-
	-	

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि और ब्याज, यदि कोई हो तो

	के अनुसार	
अवधि	31.03.2021	31.03.2020
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया		
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया		
45 दिनों से अधिक बकाया		
कुल एमएसएमई लेनदार		
क) मूल और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया लेकिन अवधि के अंत तक कोई बकाया नहीं।	-	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज।	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि का बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया)।	-	-
घ) अवधि के अंत तक अर्जित और शेष अवैतनिक ब्याज ।	-	-
इ) आगे के वर्षों में भी ब्याज बकाया और देय है, ऐसी तिथि पर जब तक कि उपरोक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की जाती है।	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार		
		31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू			
सुरक्षा जमा		-	-
बयाना राशि		-	-
अन्य		-	-
		-	-
चालू			
के साथ खाता			
एमसीएल	402.64		263.01
जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड	2.23		2.23
एसएमईएल	1.48	406.35	1.48
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-	-
अवैतनिक लाभांश		-	-
सुरक्षा जमा		3.36	3.36
बयाना राशि		1.61	1.61
पूंजीगत व्यय के लिए देय		-	-
वेतन, मजदूरी तथा भत्ते के लिए देयता		5.97	5.82
अन्य		21.83	15.79
कुल		**439.12**	**293.30**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
अनुदान	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
अनुदान	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
एनसीडबल्यूए-X	-	-
कार्यकारी वेतन संशोधन	-	-
	-	-
साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

22 :अन्य गैर-चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

	के अनुसार	
	31.03.2021	31.03.2020
सांविधिक बकाया	0.47	0.36
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	0.47	0.36

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : अन्य आय

(रु. लाख में)

	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
बैंक के साथ जमा	105.00	-
निवेश	-	
ऋण	-	-
समूह के साथ निधि	-	-
लाभांश आय		
अनुषंगियों में निवेश	-	-
म्यूचुएल फंड में निवेश	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
विनिमय दर भिन्नता	-	-
पट्टे का किराया	-	-
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैक)	-	-
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	-
विविध आय	-	-
कुल	**105.00**	-

टिप्पणी 25 : कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस आदि)	81.63	
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	**81.63**	-

टिप्पणी 26 : वित्तीय लागत

(रु. लाख में)

	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय	10.94	-
उधार	-	-
छूट का अनवाइनडिंग (साइट पुनर्स्थापना)	-	-
समूह के साथ निधि	-	-
अन्य	-	-
कुल	**10.94**	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 27 : अन्य व्यय

(रु. लाख में)

	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय		
- घरेलू	3.65	-
- विदेशी	-	-
प्रशिक्षण व्यय		-
दूरभाष एवं डाक खर्च	0.05	-
विज्ञापन तथा प्रचार - प्रसार	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
दान/सदस्यता	-	-
सुरक्षा व्यय	28.68	-
कार किराया शुल्क	5.20	-
विधि व्यय	5.73	-
बैंक शुल्क	7.30	-
गेस्ट हाउस का खर्च	-	-
परामर्श शुल्क	-	-
बिक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ आस्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय	-	-
- लेख परीक्षा शुल्क के लिए	2.07	-
- कर संबंधी मामले के लिए	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
- छूट की प्रतिपूर्ति के लिए.	-	-
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	-	-
ब्याज तथा जुर्माना	-	-
अन्य ब्याज	-	-
किराया	1.50	-
दर एवं कर	0.25	-
मुद्रण और स्टेशनरी	-	-
पट्टे का किराया	-	-
बचाव / सुरक्षा व्यय	-	-
भूमि / फसल का मुआवजा	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण खर्च	-	-
विविध व्यय	1.56	-
कुल	**55.99**	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर व्यय

(रु. लाख में)

	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
	-	-
स्थगित आय	-	-
	-	-
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
	-	-
पिछले वर्षों में	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी – 29 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 उचित मूल्य माप

(क)वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31.03.2021		31.03.2020	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-		-	
ऋण		-		-
जमा एवं प्राप्य		5708.68		5713.70
व्यापार प्राप्य		-		-
नगद एवं नगद समतुल्य		1917.05		1822.91
अन्य बैंक शेष		-		-
वित्तीय देयताएं				
उधार		-		-
व्यापार देय *		-		-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना		4.97		4.97
अन्य देयताएं *		434.15		288.33

*वेतन, मजदूरी और भते के लिए देयता अन्य वित्तीय देनदारियों के बजाय व्यापार देय में शामिल है।

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम +

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आई.सी.डी.	0.00		0.00	

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
ऋण		-		-
जमा एवं प्राप्य		5708.68		5713.70
व्यापार प्राप्य		-		-
नगद एवं नगद समतुल्य		1917.05		1822.91
अन्य बैंक शेष		-		-
वित्तीय देयताएं				
उधार		-		-
व्यापार प्राप्य		-		-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना		4.97		4.97
अन्य देयताएं		434.15		288.33

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है इसमें म्यूअचल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एन.ए.वी.) का उपयोग शामिल हैं।

(घ) महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप
वर्तमान में कोई भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पावधि के कारण उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रूप में शामिल नहीं है। वित्त प्रावधानों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये वांछित राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दिया जाता है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन की लागत को प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन
वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां
कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं। .

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह किस प्रकार इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	वार्षिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम -विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा.
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :
प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वृहद-आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)
जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो अंत में ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। एफएसए को मोटे तौर पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र , राज्य ऊर्जा उपयोगिता , निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस
- (कैपिटल पॉवर प्लांट (सीपीपीएस) सहित गैर ऊर्जा उद्योग ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस। .

ई-नीलामी योजना
जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला-ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणतः एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरूप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं इसके अंतर्गत आते हैं । ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान : कंपनी संदेहपूर्ण परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है। (सरलीकृत दृष्टिकोण)
सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्ति हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि :-

31.03.2020 तक

(₹ लाख में)

विश्लेषण	दो महीने के लिए बकाया	छह महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-	-

31.03.20201 तक

(₹ लाख में)

विश्लेषण	दो महीने के लिए बकाया	छह महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-	-

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

दिनांक 01.04.2020 तक हानि भत्ता	-
हानि भत्ता में परिवर्तन	-
दिनांक 31.03.2021 तक हानि भत्ता	-

वित्तीय आस्तियों में हुए हानि हेतु किए गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय
ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

नगदी जोखिम
विवेकपूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अविकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

बाजार जोखिम
क) विदेशी मुद्रा
जोखिम
विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात करती है एवं जोखिम को नियंत्रित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम
बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम के साथ ही कंपनी की नकदी ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करता है। कंपनी की नीति निर्धारित दर पर अपनी अधिकांश जमा को बनाए रखने की है।

कंपनी सार्वजनिक उपम विभाग (डी.पी.ई.), क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन
सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर पूंजी	9510	9510
दीर्घकालिक ऋण	-	-

3 कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)
परिभाषित लाभ योजनाएं :
क) उपदान
कंपनी पात्र कर्मचारियों को शामिल करते हुए, ग्रेच्युटी, रोजगार के बाद एक परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी स्कीम") प्रदान करती है। ग्रेच्युटी योजना को पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए रखा गया है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भते का 2.01% है। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों को संशोधित करते हुए प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी से सेवनिवृत होने पर अधिकतम 20 लाख रुपये एवं जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है, (जो पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए एक महीने में (15 दिन / 26 दिन) * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भता * है) ग्रेच्युटी स्कीम के संबंध में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपतियों के उचित मूल्य से कम है।.परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित रिपोर्टिंग क्रेडिट इकाई पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और नुकसान को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में प्राप्त होते हैं।

ख) अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ -अधिकारी सीपीआरएमएसई)

सीआईएल और उसके सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना है जिसे पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत अधिकारियों और उनके पति / पत्नी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्ति पर या मेडिकल ग्राउंड पर कंपनी द्वारा अलग कर दिए जाने पर या समय -समय पर बनाए गए या लागू किए गए आम कोल कैडर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने पर केवल भारत में सीलिंग सीमा के अधीन अस्पताल / निजी अस्पतालों या अस्पताल / अस्पताल में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के लिए सदस्यता का विस्तार नहीं किया गया है।सेवानिवृत अधिकारियों और उनके पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान संयुक्त रूप से या कई बार एक साथ लिए गए प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि निर्दिष्ट बीमारियों के अलावा 25 लाख रुपये है, जिसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है । इस उद्देश्य के लिए योजना को कंपनी स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित पोषित किया गया है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 2% है। योजना की देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यवान प्राप्त है।

परिभाषित योगदान योजनाएँ

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) को पात्र कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत, जो कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% और 7% है, के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है। दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए फंड की दिशा में योगदान शून्य है (दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य और दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य लाख) जिसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है (नोट 25)।

क) अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - गैर-अधिकारी सीपीआरएमएसई -एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है और लाभ और हानि के के विवरण में इसे दर्शाया जाता है।

ग) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007" (जिसे नई पेंशन योजना "एनपीएस" के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को कंपनी के स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।. कंपनी का दायित्व मूल राशि के 30% से अधिक नहीं होने पर भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सीय लाभ के लिए नियोक्ता के अंशदान से कम-से-कम, यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ट्रस्ट का योगदान करना है।.नियोक्ता के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान योगदान को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नगदीकरण

कंपनी अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित अवकाश (ईएल) और 20 दिनों की हाफ पेड लीव (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन छमाही आधार पर अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, अधिकतम 60 दिनों की अर्जित अवकाश की सीमा के आधार पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 75% जमा अर्जित अवकाश शेष एक बार ही नगद किया जा सकता है । सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल के नगदीकरण की अनुमति नहीं है। ईएल और एचपीएल को एक साथ एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन नकदीकरण के लिए माना जाता है। गैर-अधिकारियों के मामले में, छुट्टी का नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वर्तमान में काम करने वाले को प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का अधिकार है। मृत्यु, सेवा निवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद करने पर, शेष अवकाश या 150 दिन का अवकाश दोनों में जो भी कम हो, के नकदीकरण की अनुमति है। इसलिए, अर्जित अवकाश की देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भविष्य के भुगतान को वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अंत में मार्केट यील्ड का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों के अधीन होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना पूरी तरह से वित पोषित है।

b) जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित रूप में कंपनी के पास डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 के तहत लाइफ कवर स्कीम है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड लाइफ कवर स्कीम" (LCS) के रूप में जाना जाता है। दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी रूप में योजना के तहत 1,25,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत देयता कंपनी द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दर्शायी जाती है।

c) व्यवस्थापन भत्ता

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्लूए के तहत शासित सभी गैर-अधिकारी कैडर के कर्मचारियों को एक मुश्त 12000/- की राशि का भुगतान 31.10.2010 को या उसके बाद व्यवस्थापन भत्ते के रूप में किया जाता है। योजना के लिए दायित्व को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है।

d) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (GPAIS) के रूप में जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटना को शामिल करता है। योजना के लिए प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। योजना के लिए दायित्व को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है।

ड) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने होम टाउन और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः एकमुश्त 8000/- रुपये और 12000/- रु. का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है।

f) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के परिजनों को दिनांक 07.11.2019 से प्रभावी रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते है।

परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित अंशदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की फंडिंग की स्थिति, जो बीमांकिक आधार पर मूल्यवान हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) वित पोषित

- o उपदान
- o अवकाश नगदीकरण
- o चिकित्सा लाभ
- o भविष्य निधि
- o पेंशन योजना

(ii) गैर-वित पोषित
- o जीवन सुरक्षा योजना
- o व्यवस्थापन भत्ता
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o अवकाश यात्रा रियायत
- o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित के लिए मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक 31.03.2021 तक देयता जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है

(₹ लाख में)

विवरण	के रूप में प्रारम्भिक बीमांकिक 01.04.2020	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	के रूप में समाप्त बीमांकिक 31.03.2021
उपदान	-	-	-
अर्जित अवकाश	-	-	-
अर्ध वेतन अवकाश	-	-	-
जीवन बीमा सुरक्षा	-	-	-
अधिकारियों के लिए व्यवस्थापन भत्ता	-	-	-
गैर-अधिकारियों के लिए व्यवस्थापन भत्ता	-	-	-
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत	-	-	-
अधिकारी चिकित्सा लाभ	-	-	-
कर्मचारी चिकित्सा लाभ	-	-	-
खदान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा	-	-	-
कुल	-	-	-

4 अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयताएं

I.कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम	अन्य	कुल
प्रारंभन दिनांक 01.04.2020	255.49	0.00	0.00	2224.80	2480.29
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
क. प्रारम्भिक शेष से	-	-	-	-	-
ख अवधि के दौरान संयोजन से	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त	255.49	0.00	0.00	2224.80	2480.29

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक	विवरण	के अनुसार 31.03.2021	के अनुसार 31.03.2020
1	केन्द्र सरकार		
	आयकर	255.49	255.49
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0	0
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0	0
	केंद्रीय विक्रय कर	0	0
	सेवा कर	0	0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0	0
	उप योग	255.49	255.49
2	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी		
	रॉयल्टी	0	0
	पर्यावरण मंजूरी	0	0
	विक्रय कर / वैट	0	0
	प्रवेश कर	0	0
	अन्य	0	0
	उप-योग	0	0
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	0	0
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0	0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0	0
	उप -योग	0	0
4	अन्य :(अगर कोई हो)		
	विविध ++++	2224.8	2224.8
	कर्मचारी संबंधित और आदि.	0	0
	उप-योग	2224.80	2224.80
	कुल योग	2480.29	2480.29

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. गारंटी
31.03.2021 के अनुसार बैंक गारंटी रु. 2224.80 लाख (31.03.2020 को 2224.80 लाख) जारी की गई।
(1)कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 22.248 करोड़ रुपये की राशि के लिए कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर, द्वारा जारी बैंक गारंटी संख्या 50/48 प्रस्तुत की, जिसे बीजी संख्या -50/48 का अवलोकन करते हुए दिनांक 01.04.2021 को 6 महीने (01.04.2021 से 3.09.2021 तक) के लिए नवीनीकृत किया गया है।
(2) बीजी के 20% (यानी, 22.248 करोड़ रुपये) की कटौती के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिनांक: 09 जुलाई, 2013 को एफसंख्या - 47011/7 (6) / 93- सीपीएएम / सीए से एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके खिलाफ कंपनी के निजी शेयरधारकों ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। यह कटौती कंपनी द्वारा निर्धारित/विस्तारित समय सीमा तक लक्षित उत्पादन को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के मद्देनजर किया जाना प्रस्तावित है ।

III. साख पत्र
31.03.2021 को बकाया साख पत्र शून्य (31.03.2020 को शून्य) है।
b) प्रतिबद्धता
निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुगानित राशि पूंजी राशि जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया : शून्य
अन्य प्रतिबद्धताएं : शून्य

5 अन्य सूचना
क) प्रावधान
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त की गई अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन बीमांकित है, जो नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में)

प्रावधान	दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/ समायोजन/ भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष
नोट 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: :				
संपत्ति की हानि:	-	-	-	-
नोट 4: - पूंजीगत कार्य में प्रगति				-
सी.डब्लू.आई.पी. संवेधित	-	-	-	-
नोट 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां :				-
प्रावधान और हानि :	-	-	-	-
नोट 8: - ऋण :				-
अन्य ऋण :	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:				-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-	-	-
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				-
पूंजीगत अग्रिम	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा एव अग्रिम	-	-	-	-
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :				-
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एव सेवाएं)	-	-	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-
अन्य अग्रिम और जमा	-	-	-	-
नोट 13:-व्यापार प्राप्य :				-
खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान :	-	-	-	-
नोट 21: - गैर-चालू और चालू प्रावधान :				-
उपदान	-	-	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-	-	-
अनुग्रह राशि	-	-	-	-
कार्य प्रदर्शन संबंधित भुगतान	-	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	-
साइट पुन: स्थापना / खान बंदी	-	-	-	-
स्क्रीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-

ख) खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग
कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल कार्य में लगी हुई है।

ग) प्रति शेयर आय:

क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ	(43.78)	(1961.00)
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	95100000	95100000
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	(₹ 0.05)	(₹ 2.06)

घ) संबंधित पक्ष की जानकारी

संबंधित पार्टियों की सूची इस प्रकार है -

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

श्री के.आर. वासुदेवन	अध्यक्ष	12.02.2018
श्री ए. हुसैन	निदेशक	02.07.2019
श्री ए.के. सिंह	निदेशक	11.06.2020
श्री संदीप गोखले	निदेशक	24.10.2008
श्री सी. पी. टेटेड	निदेशक	17.06.2019
श्री एस.बी. दासगुप्ता	निदेशक	23.07.2012
श्री एस. एस. उपाध्याय	निदेशक	29.07.2016
श्री पी. पी. गुप्ता	सीईओ	12.03.2021
श्री ए. के. राय	सीएफओ	19.08.2020
श्री एस. राउत	कंपनी सचिव	25.01.2011

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमां क.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक तथा कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	28.05	96.45
	चिकित्सीय लाभ	0.00	0.00
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.00	0.00
ii)	रोजगार के बाद के लाभ		
	पी.एफ. और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ	0.00	0.00
	कुल	28.05	96.45

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	0	0

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2020 तक
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

इसी सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ:

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	लेन-देन	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2020 तक
लागू नहीं		-	-

ङ) आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही शासन के कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता :

(₹ लाख में)

		31.03.2021	31.03.2020
क.	आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
	संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	-	-
	कर्मचारी लाभ	-	-
	अन्य	-	-
	(क) का कुल	-	-
ख.	आस्थगित कर देयता :		
	अचल संपत्ति से संबंधित	-	-
	अन्य	-	-
	(ख) का कुल	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (क-ख)	-	-

च) बीमा और वृद्धि के दावे
प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है.

छ) लेखों में किए गए प्रावधान
धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ज) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।
प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

झ) चालू देयताएँ
जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

ञ) शेष की पुष्टि
शेष की पुष्टि /सामंजस्य नकद और बैंक शेष, निश्चित ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

ट) अन्य मामले

ठ) पृथक राजस्व सूचना:
नीचे दी गई तालिका में भारतीय लेखांकन मानक115 की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से असंबद्ध राजस्व तथा कोयले और अन्य की बिक्री से राजस्व के लिए ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व प्रस्तुत किया गया है :

(₹ लाख में)

पृथक राजस्व सूचना:	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु एवं सेवा के प्रकार		
कोयला		-
अन्य		-
कोयला और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
ग्राहकों के प्रकार		
ऊर्जा क्षेत्र		-
गैर-ऊर्जा क्षेत्र		-
अन्य सेवाएं		-
कोयला और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-
संविदा के प्रकार		
एफएसए		-
ई-नीलामी		-
अन्य		-
कोयला और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-
वस्तु या सेवा का समय		
ठीक समय पर वस्तु का अंतरण		-
वस्तु का समयोपरांत अंतरण		-
समय पर वस्तु एवं सेवा का अंतरण		-
वस्तु एवं सेवा का समयोपरांत अंतरण		-
कोयला और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-

ड) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति:
कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

ढ) कोविड-19 का प्रभाव : यह क्षेत्र कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रहा है और व्यापार को आसान करने के लिए इसने विभिन्न उपायों को लागू किया है। क्षेत्र ने 31 मार्च 2021 तक वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा को वहन करने की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न संभावित प्रभावों पर विचार किया है। यह क्षेत्र भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेगा।

ण) हालियों घोषणाएं
मार्च 2021 को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। यह संशोधन अनुसूची III के डिवीजन I, II और III को संशोधित करता है और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होता है। कंपनी अपने वित्तीय वक्तव्यों में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

त) अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई), दिनांक 24 जुलाई 2020 , के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) में भौतिकता की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में भौतिकता पर नीति को संशोधित किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है.

थ)

क) 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया और आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और अवैध करार दिया। तदनुसार कंपनी के पक्ष में पहले आवंटित किए गए उत्कल-ए कोल ब्लॉक (गोपालप्रसाद पश्चिम सहित) का भी आवंटन रद्द किया गया था। तथापि, कंपनी को अभी तक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से आवंटन रद्द करने का कोई पत्र नहीं मिला है।

ख) पिछली अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।

ग) नोट -1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2021 के अनुसार तुलनपत्र को तथा 24 से 28 उस तिथि पर समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि के विवरण को दर्शाता है। नोट 29 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों को दर्शाता है।

नोट 1 से 29. तक हस्ताक्षर

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. राउत)	(ए. के. राय)	(पी. पी. गुप्ता)	(ए. के. सिंह)	(के. आर. वासुदेवन)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सीईओ/जीएम	निदेशक	अध्यक्ष
			डीआईएन-08667576	डीआईएन-07915732

आज तक की हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ए. के. कर एंड कंपनी की ओर से
एफआरएँ – 310081ई
ह/-
सी ए. के. कर
साझेदार , मो. सं-017804

दिनांक :26.04.2021
स्थान: अनगुल